न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 12 / 2022
रजिस्ट्रेशन नं. : 2022 / 17

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

एक्मे फिनट्रेड (इंडिया) लिमिटेड,
शाखा उदयपुर

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोन्डेन्ट्स–

1. श्री मुख्तियार अहमद पिता श्री मुस्ताक अहमद, सुरज पोल, मकराणी वाडा, शहर एवं जिला बाँसवाडा (राजस्थान) (ऋणी)
2. श्रीमती रजीया बी पत्नी मुख्तियार अहमद सुरज पोल, मकराणी वाडा, शहर एवं जिला बाँसवाडा (राजस्थान) (सहऋणी)
3. श्री शरीफ खान अफगानी पिता श्री मलहार खान अफगानी होली चौक, पृथ्वी गंज खिडकी, शहर एवं जिला बाँसवाडा (राज.) (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 18.05.2022

एक्मे फिनट्रेड (इंडिया) लिमिटेड, शाखा उदयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री मुख्तियार अहमद पिता श्री मुस्ताक अहमद, सुरज पोल, मकराणी वाडा, शहर एवं जिला बाँसवाडा (राजस्थान) (ऋणी) 2– श्रीमती रजीया बी पत्नी मुख्तियार अहमद सुरज पोल, मकराणी वाडा, शहर एवं जिला बाँसवाडा (राजस्थान) (सहऋणी) 3– श्री शरीफ खान अफगानी पिता श्री मलहार खान अफगानी होली चौक, पृथ्वी गंज खिडकी, शहर एवं जिला बाँसवाडा (राज) (जमानती) को दिनांक 03.03.2018 के द्वारा राशि रुपया 40,00,000 (अक्षरे चालीस लाख रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 20.05.2020 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 28–07–2021 को कुल बकाया राशि 51,72,772 रू. (इक्यावन लाख बहत्तर हजार सात सौ बहत्तर रुपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरीटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी [illegible] श्रीमती रजीया बी पत्नी मुख्तियार अहमद के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय [illegible] 407, जिसका क्षैत्रफल 2000 वर्गफीट है जो अब्दुलापीर, ग्राम केवलपुरा [illegible] में स्थित है। [illegible] में मन्सूरी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 09:58:38 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

मकान, पश्चिम में अन्य प्लॉट, उत्तर में अन्य प्लॉट, दक्षिण में सडक है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी संस्था द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र सं. बी–10.00092 दिनांक 05.09.2019 की प्रति संलग्न की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 29–07–2021 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 08.03.2022 को जारी किये गए। अप्रार्थीगण 2 व 3 का नोटिस दिनांक 30.03.2022 को बाद चस्पा रिपोर्ट तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा प्रस्तुत हुए एवं अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री तसलीम अहमद अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं. 1 विदेश में होने से नोटिस अदम तामिल प्रस्तुत हुआ। दिनांक 12.05.2022 को अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस उसके निवास स्थान पर चस्पा होकर पेश हुआ।

अतः नोटिस बाद चस्पा होकर प्रस्तुत होने एवं अप्रार्थीगण सं 1 व 2 को समुचित अवसर प्रदान करने के बावजुद अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी सं. 3 के अधिवक्ता दिनांक 30.03.2022 एवं 13.04.2022 को उपस्थित हुए किन्तु जवाब प्रस्तुत नही किया तत्पश्चात् अप्रार्थी सं.3 अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी सं. 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही होने पर दिनांक 18.05.2022 को जवाब बंद किया जाता है एवं अप्रार्थीगण सं 1 से 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

दिनांक 18.05.2022 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 09:58:38 IST
Reason: SelfAttested

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बॉसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एक्मे फिनट्रेड (इंडिया) लिमिटेड, शाखा उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 09:58:38 IST
Reason: SelfAttested